

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'चौबीस'

[28/11/2017]

प्रश्न सं. [क. 842]

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462004

फ़ाइल क्रमांक : इक्कि ।९/२२/२००६/।/४,
प्रति,

भोपाल, दिनांक ०६/०२/२००६

समरत कलेक्टर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- शासकीय योजनाओं/परियोजनाओं के शिलान्यास तथा उद्घाटन समारोहों में
सेवीय विधायकों की अवहेलना रोकने के सम्बन्ध में।

माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया है कि जिलों में
आयोजित शासकीय कार्यक्रमों में शिलान्यास उद्घाटन आदि समारोहों में स्थानीय
विधायकों की अवहेलना की जाती है तथा शासकीय कार्यक्रमों में विधायकों को न तो लोड
महत्व दिया जाता है और न ही आमंत्रित किया जाता है।

2/ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए निर्देश दिये हैं कि जिलों में
आयोजित शासकीय कार्यक्रमों तथा शिलान्यास, उद्घाटन आदि में क्षेत्र के माननीय सासार्ही
तथा विधायकों को आमंत्रित करें। माननीय सांसदों एवं विधायकों के क्षेत्र में शायोजित
कार्यक्रम में यदि शिलालेख लगाया जाए तो ऐसी शिलाओं में सनके नाम अनिवार्य रूप से
अंकित किये जाएं।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

(खुशीराम)
(खुशीराम)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग
भोपाल, दिनांक ०६/०२/२००६

पृष्ठा ०१ : इक्कि ।९/२२/२००६/।/४,

प्रतिलिपि:-

1. समरत प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मंत्रालय, भोपाल कृपया
जिलों में पदस्थ अपने विभाग के अधिकारियों को उक्त निर्देशों का कड़ाई
से पालन करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. सचिव, मुख्य मंत्री के द्वारा, भोपाल।
3. अपर सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय
4. समरत संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अंग्रेजित।

(खुशीराम)
खुशीराम अधिकारी
मध्यप्रदेश शायक,
सामान्य प्रशासन विभाग

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग